न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2016/00490

1. रांजाराम आत्मज श्री गोपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. मोडू आत्मज श्री गोपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामप्यारी पत्नी श्री भंवर लाल जाति कलाल निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. श्रीमान् तहसीलदार, तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. जरिय प्रबन्धक महोदय बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश योगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 17.09.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम देई तहसील नैनवा में खाता संख्या 1142 में कुल 04 किता की 04 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है । इसी प्रकार खाता संख्या 1143 में कुल 10 किता की रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमियॉ वादिया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की भूमियॉ है जिस पर वादिया काबिज काश्त चली आ रही है । उक्त आराजी पर आने–जाने का एक मात्र रास्ता देई से लीलदा जाने वाले पक्के डामर रोड से फटकर खसरा नम्बर 625 से होता हुआ खसरा नम्बर 635 में पहुंचकर खसरा नम्बर 636 जो कि गैर मु0 रास्ता है में मिल जाता है । उक्त रास्ता करीब 30 फिट चौडा है जिसमें होकर वादिया अपनी खातेदारी की

भूमि में हंकाई, जुताई करने जाती है । प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 4 ने उक्त रास्ता अवरूद्ध कर दिया है । उक्त रास्ता खसरा नम्बर 626 में होकर निकल रहा है तथा खसरा नम्बर 626 राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है ।

3. अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाकर वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादिनी के खातेदारी की भूमि पर आने–जाने हेतु बने रास्ते का खुलासा करवाया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज किया जावे और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादिनी के रास्ते पर हक अधिकार सुखाधिकार व उपयोग व उपभोग करने तथा अवागमन में कोई हस्तक्षेप नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2015 के द्वारा वाद वादिनी स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 1व 2 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को लोक अदालत में रखते हुए तनकीयात कायम किये बिना तथा साक्ष्य लिये बिना निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से पैरवी करने हेतु अपने अभिभाषक को नियुक्त किया हुआ था और उन्होंने प्रत्येक तारीख पेशी पर आने से मना किया हुआ था और आवश्यकता होने पर सूचित करने के लिए कहा था परन्तु उनके अभिभाषक द्वारा अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई । अपीलान्ट दिनांक 27.04.2016 को अपने वकील साहब से मिले तो उन्होंने उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री के सम्बन्ध में जानकारी दी जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज दर्ज रजिस्टर की गईं । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने लोक अदालत में बिना अपीलान्ट को सूचना दिये निर्णय पारित किया है जो सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत है । परीक्षण न्यायालय में पत्रावली तनकीयात कायमी में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बिना किसी राजीनामे के गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित

किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है परीक्षण न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से वाद वादिनी डिक्री किया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में पत्रावली कायमी तनकीयात में लम्बित थी इसमें दिनांक 21.05.2015 को दिनांक 18.08.2015 की तारीख दी गई थी और इससे पूर्व ही दिनांक 06.07.2015 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादिनी रामप्यारी एवं उनके अभिभाषक की उपस्थिति दर्ज की गई है । प्रतिवादीगण की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है । पक्षकारान ने कोई राजीनामा पेश नहीं किया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादिनी डिक्री किया गया है ।

11. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.07.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर उभयपक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए विधि सम्मत रूप से नये सिरे से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 01.11.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 17.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17-9-2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा